आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0...10...../17–18

राज्य बनाम सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10C-3971

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.9.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सौरबाजार थाना कांड संख्या–102/17 दिनांक–08.03.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10C-3971 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। वाहन मालिक का नाम पता स्पष्ट नहीं रहने के कारण आम सूचना निर्गत की गई एवं आम सूचना निर्गत होने के पश्चात् भी कोई दावा लेकर उपस्थित नहीं हुआ। तामिला संतोषजनक है। वाद की एक पक्षीय सुनवाई की गई। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सौरबाजार थाना कांड संख्या–102/17 दिनांक–08.03.17 थानाध्यक्ष पु0अ0नि0 रूदल कुमार के स्वलिखित बयान के अधार पर सुमो गोल्ड जिसका रजिस्ट्रेशन नं0– JH-10C-3971 के चालान एवं दो अन्य अज्ञात के विरूद्ध सुमो गोल्ड पर अंग्रेजी शराब लोडकर ले जाने एवं पुलिस बल को देखकर कॉप लक्ष्मीनीया पुलिया के पास गाड़ी छोड़कर भाग जाने के आरोप में दर्ज कराया गया कांड अनुसंधान अंतर्गत है। उक्त विदेशी शराब और सुमो गोल्ड को अभिरक्षा में लेकर फरार अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का	

11.9.18

अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ है। उक्त वाहन सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0–JH-10C-3971 से विदेशी शराब बरामद हुआ जिससे यह प्रतीत होता है कि जब्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जब्त सुमो गोल्ड रजिस्ट्रेशन नं0–JH-10C-3971 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

11.8.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

11.8.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1209-2/विधि, दिनांक 17-8-17

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.08.17

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।